श्री जय सिंह, भा0प्र0से0 जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 17.10.2016 को आपूर्त्ति संबंधी समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा पंजी।

1. आधार सिडिंग :–

समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक 1316/खाद्य, दिनांक 23.02.2016 के आलोक में लाभुकों का आधार नम्बर बैंक खाता नम्बर एवं मोबाईल नम्बर का संग्रहण किया जा रहा है। सरकार के संयुक्त सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 4556/खाद्य दिनांक 26.07.16 के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा पूर्विकता प्राप्त एवं अन्त्योदय लाभकों के राशन कार्ड के सत्यापन के समीक्षा के क्रम में सत्यापन के कार्य में लगे कर्मियों को सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के कार्य पर विशेष ध्यान देने हेतु प्रखंड के सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रखंड आपुर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया था, परंतु प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि सत्यापन कार्य अभी बाकी है जिसे पूर्ण करने का पुनः निदेश दिया गया। अपात्र पाये गये परिवारों को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नोटिश निर्गत कर अविलंब हटाने की कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। **सत्यापन कार्य में धीमी प्रगति एवं अपात्र लाभुकों का नाम नहीं हटाने के लिए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया जिला से जितने समय से अपात्र परिवारों द्वारा खादयान्न प्राप्त की जा रही है उनका मूल्य संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के वेतनादि से वसूली की जायगी।** दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को आधार संग्रहण एवं सीडिंग कार्यो की प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह के सोमवारीय बैठक में अधोहस्ताक्षरी को अवलोकनार्थ अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। चूँकि प्रधान सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना का पत्रांक 3738/खाद्य, दिनांक 21.06.2016 द्वारा राशन कार्ड सत्यापन कार्य की अंतिम तिथि 21.09.2016 तक ही निर्धारित थी। समीक्षा के क्रम में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड सत्यापन कार्य अंतिम चरण में हैं, अप्राप्त परिवारों कों नोटिस भेजे जाने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को भेजा जा चुका हैं। संबंधित लाभुकों को नोटिस तामिला कराई जा रहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी द्वारा बताया गया कि नोटिस तामिला का कार्य अंतिम स्थिति में है। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को 21.10.2016 तक राशन कार्ड का सत्यापन कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा अपात्र परिवारों को नोटिस कर अपात्र/डुप्लीकेट परिवारों को चिन्हित करने हेतु दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित की जाती हैं।

(अनुपालन– प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी)

2. **राशन/किरासन कूपन वितरण की समीक्षाः–** जिला आपूर्ति पदाधिकारी बताया गया कि माह अक्टूबर 2016 से कूपन के आधार पर राशन/किरासन उपभोक्ताओं कों जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के माध्यम से वितरण किया जाना है। अतः कूपन वितरण का कार्य इस कार्यालय के आदेश ज्ञपांक 626/जि॰आ॰, दिनांक 01.09.2016 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को वितरण हेतु आवश्यक निर्देश दिया जा चुका है।

17.10.2016

प्रखंडवार कूपन वितरण का अद्यतन स्थिति निम्नवत् है:–

प्रखंड का नाम	श्रेणीवार प्राप्त कूपन की संख्या					श्रेणीवार वितरित कूपन की संख्या					
	पी0एच0 एच0	अन्त्योदय	किरासन	अन्नपूर्णा	कुल प्राप्त कूपनों की संख्या	पी0एच0एच0	अन्त्योदय	किरासन	अन्नपूर्णा	कुल वितरित कूपनों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खगड़िया	2384361	171522	644625	0	3200508	2026701	145602	547929		2720232	84.99
खगड़िया नगर परिषद	250578	27108	111942	0	389628	205470	22230	91791		319491	82.00
मानसी	643221	49536	184968	0	877725	546732	42102	157221		746055	85.00
चौथम	1080567	79362	303705	0	1463634	930222	63342	189180		1182744	80.81
अलौली	2245401	146556	569583	0	2961540	1794231	119916	460179		2374326	80.17
गोगरी	2144556	145422	539964	0	2829942	1822869	123606	458964		2405439	85.00
गोगरी नगर पंचायत	274716	18648	88020	0	381384	233505	15840	74817		324162	85.00
परबत्ता	1745208	131724	533340	0	2410272	1448514	109314	442665		2000493	83.00
बेलदौर	1527345	101052	374877	0	2003274	1252422	82854	307395		1642671	82.00
कुल	12295953	870930	3351024		16517907	10260666	724806	2730141	0	13715613	83.03

कूपन वितरण की समीक्षा में धीमी गति से वितरण पर जिलाधिकारी द्वारा खेद व्यक्त किया गया प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारीयों को निर्देश दिया गया कि दिनांक 23.10.2016 तक कूपन वितरण कर अद्योहस्ताक्षरी को अंतिम प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगें। दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि कूपन वितरण का कार्य अविलंब पूर्ण हो इसे प्रत्येक दिन समीक्षा कर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

निलाम पत्र वादों की समीक्षा :– राज्य खाद्य निगम, खगड़िया द्वारा दायर की गई कुल 09 निलाम पत्र वाद लंबित है। जिसमें कुल 33986482=00 रू0 सन्निहित है। जिलाधिकारी द्वारा जिला निलाम पत्र पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इनकी सुनवाई त्वरित गति से करना सुनिश्चित करें तथा प्रमादी मिलर्स एवं दोषी कर्मियों पर दर्ज निलाम वादों पर कार्रवाई हेतु दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया साथ ही वाद की कार्रवाई से संबंधित सप्ताहिक प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवार को अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, खगड़िया को निदेश दिया गया कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को निलाम शाखा में जाकर संधारित रजिस्टर–10 से मिलान करना सुनिश्चित करेंगे। साथ–ही–साथ निलाम पत्र की कार्रवाई में स्वयं अभिरूचि लेकर कार्य करेंगे। **साथ ही साथ यह भी निदेश दिया गया कि कुल राशि का 10 प्रतिशत की वसूली अगले माह तक वसूली नहीं की जाती हैं तो जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायगी।**

17.10.2016

दर्ज प्राथमिकी की समीक्षा:—जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, खगड़िया द्वारा बताया गया कि 6 प्रमादी मिलरों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है एवं 3 दोषी कर्मी/पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दायर किया गया है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि दोषी मिलरों एवं कर्मी के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी पर त्वरित कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से अनुरोध करें।

(अनुपालन :— जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/ जिला निलाम पत्र पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी)

3. खाद्यान्न उठाव/वितरण की समीक्षा :—

माह सितम्बर 2016 के खाद्यान्न उठाव/वितरण समीक्षा के दौरान प्रखंडवार खाद्यान्न उठाव की स्थिति निम्नप्रकार पायी गई :—

क्र0	प्रखंड का नाम	SIO Genreted and Printed	SIO Dispatch
1	गोगरी	206	205
2	बेलदौर	92	90
3	परबत्ता	153	149
4	खगड़िया	296	288
5	अलौली	242	242
6	मानसी	64	64
7	चौथम	102	98
कुल :—		**1155**	**1136**

माह अक्टूबर 2016 का स्थिति निम्नप्रकार से है :—

क्र0	प्रखंड का नाम	SIO Genreted and Printed	SIO Dispatch
1	गोगरी	204	25
2	बेलदौर	80	0
3	परबत्ता	141	0
4.	खगड़िया	280	2
5.	अलौली	237	24
6.	मानसी	62	2
6.	चौथम	76	11
कुल :—		**1080**	**64**

17.10.2016

SIO Dispatch समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह सितम्बर 2016 के लिए जमा किये गये राशि के विरूद्ध **1155 SIO Generated and Printed** है परन्तु इसके विरूद्ध **1136** का **SIO Dispatch** (खाद्यान्न निर्गत) हुआ हैं, जिसमें गोगरी, बेलदौर, खगड़िया, परबत्ता, चौथम प्रखण्ड में शत् प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव नहीं हुआ हैं। सितम्बर माह में जिन जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा खाद्यान्न उठाव नहीं किया गया हैं। उनके विरूद्ध दुकान रद्द करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें। तथा अक्टूबर 2016 के लिए जमा किये गये राशि के विरूद्ध **1080 SIO Generated and Printed** है परन्तु इसके विरूद्ध 64 का **SIO Dispatch** (खाद्यान्न निर्गत) किया गया है। सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे 20वीं तारीख तक माह सितम्बर 2016 का खाद्यान्न उठाव पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को निर्देश दिया गया कि माह सितंबर 2016 के बचे खाद्यान्न का शत प्रतिशत एवं माह अक्टूबर 2016 का 24वीं तारीख तक **SIO Dispatch** कर खाद्यान्न निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। डोर स्टेप अभिकर्ता द्वारा समय पर विक्रेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम खगड़िया करेगें। बैठक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि फुट कलेंडर के आलोक में तय समयावधि के अंदर उपावंटन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम खगड़िया को भेजते हुए उसकी एक प्रति जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालन :– सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम)

4. ई–चालान की समीक्षा :–

ई–चालान की समीक्षा की गई माह अक्टूबर 2016 के लिए सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा शत प्रतिशत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का ई–चालान के माध्यम से खाद्यान्न की राशि जमा नही करवाई गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि तीन दिनों के अंदर नियमानुसार विक्रेताओं से चालान की राशि अचुक रूप से जमा करवाना सुनिश्चित करें, जो प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी तयसीमा के अंदर ई–चालान की राशिं जमा करवाने में विफल होते हैं उनके विरूद्ध यथेष्ठ कार्रवाई की अनुशंसा दोनो अनुमंडल पदाधिकारी करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी)

17.10.2016

6

5. खाद्यान्न दिवस/फुड कलेण्डर :–

प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 3386/खाद्य, दिनांक 24.04.2015 के आलोक में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से माह के अंतिम सप्ताह में तीन कार्य दिवस का जन वितरण प्रणाली दूकानों को खुला रख कर दावा करने वाले उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

(i)खाद्यान्न दिवस की निर्धारित तिथियों में खाद्यान्न का वितरण लाभुकों के बीच सुनिश्चित करायी जाय।

(ii)खाद्यान्न वितरण के पूर्व भंडार का सत्यापन प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, निगरानी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में करेंगे।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि खाद्यान्न दिवस के बाद खाद्यान्न का भंडार का सत्यापन किया जाय एवं प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को अवलोकनार्थ भेजा जाय।

(अनुपालन :– सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया/गोगरी)

6. किरासन तेल का आवंटन/उठाव एवं विरतण की समीक्षा :–

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के अपर सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 6070/खाद्य, दिनांक 13.10.2016 के द्वारा माह अक्टूबर 2016 से ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों हेतु प्रतिमाह प्रति परिवार 2.400 लीटर एवं शहरी क्षेत्र में 1.00 लीटर देय होगा।

किरासन तेल आवंटन, उठाव एवं वितरण माह–सितम्बर 2016

क्र0	प्रखंड का नाम	जिला आवंटन (लीटर में)	थोक विक्रेता द्वारा उठाव किये गये किरासन तेल की मात्रा (लीटर में)	प्रखंड आवंटन (लीटर में)	ज0वि0प्र0 विक्रेता द्वारा उठाव की गई मात्रा	वितरित मात्रा	अवशेष मात्रा
1	खगड़िया	178997.500	178997.500	171975.000	171975.000	171975.000	7022.500
2	खगड़िया नगर परिषद	15547.500	15547.500	14168.750	13426.25	13426.250	2121.250
3	गोगरी	149925.000	149925.000	149925.000	149925.000	149925.000	0
4	गोगरी नगर पंचायत	12225.000	12225.000	12225.000	12225.000	12225.000	0
5	मानसी	51315.000	51315.000	51315.000	51315.000	51315.000	0
6	चौथम	83845.000	83845.000	83845.000	83640.00	83640.000	205.000

17.10.2016

7	अलौली	157675.000	157675.000	155205.200	155205.200	155205.200	2469.800
8	बेलदौर	101275.000	101275.000	101275.000	98067.500	98067.500	3207.500
9	परबत्ता	147495.000	147495.000	147495.000	147495.000	147495.000	0
10	ठेला भेण्डर	30000.000	30000.000	-	30000.000	30000.000	
11	ग्रामीण सुदुरवर्ती थाना	706.000	706.000	-	506.000	506.000	200.000
12	जिला सुरक्षित मद से कार्यालय संस्थान हेतु	3365.000	3365.000	-	3365.000	3365.000	0
13	अवशेष सुरक्षित	446.300		-	-	-	496.300
14	सितबर 2016 का अतिरिक्त किरासन तेल						84000.000
	कुल :–	**932867.300**	**932371.000**	**887428.950**	**917144.950**	**917144.950**	**99722.350**

किरासन तेल का आवंटन/उठाव/वितरण समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि माह के दुसरी तारीख तक थोक विक्रेता के भंडार एवं भंडार पंजी के सत्यापन के पश्चात प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अचुक रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी)

7. <u>निरीक्षण</u> :–

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/आपूर्त्ति निरीक्षक द्वारा जन वितरण प्रणाली दूकानों का निरीक्षण नियमित रूप से नही किया जाता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 9958/खाद्य, दिनांक 31.12.2014 के आलोक में स्पष्ट किया गया कि शहरी क्षेत्रों में शत–प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के कुल दूकानों का 25 प्रतिशत टेस्ट, चेक महीने में एक बार किया जाना है। साथ ही शहरी एवं ग्रामीण कार्यरत दूकानों का 50 प्रतिशत औपचारिक निरीक्षण आवश्य किया जाना है तथा निरीक्षण की प्रतिवेदन निरीक्षण की तिथि से तीन दिनों के अंदर अपने से उच्चाधिकारी को समर्पित करना अनिवार्य होगा। अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी जो आपूर्त्ति के प्रभारी है 20 प्रतिशत दूकानों का निरीक्षण करेंगे/सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के 10 प्रतिशत दूकानों का निरीक्षण करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी अपने अनुमंडल क्षेत्र के 5 प्रतिशत दूकानों का निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण की तिथि से तीन दिनों के अंदर अपने उच्चाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।

समीक्षा के क्रम में प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारियों द्वारा निम्न प्रकार लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानों को निरीक्षण किए जाने संबंधी जानकारी दी गई। जो निम्नवत् हैं।

प्रखंड आपूर्ति पदा0 खगड़िया 28 दुकानों,
प्रखंड आपूर्ति पदा0 चौथम 7 दुकानों,
प्रखंड आपूर्ति पदा0 मानसी 5 दुकानों,
प्रखंड आपूर्ति पदा0 गोगरी 16 दुकानों,
प्रखंड आपूर्ति पदा0 परबत्ता 15 दुकानों,
प्रखंड आपूर्ति पदा0 बेलदौर 06 दुकानों

17.10.2016

खगड़िया, चौथम, मानसी द्वारा बताया गया कि निरीक्षण के क्रम में जाँच की गई। जाँच के क्रम में सही पाया गया। प्रखंड आपूर्ति पदा0 गोगरी द्वारा बताया गया कि 12 विक्रेताओं के द्वारा कैश मेमो दिया जा रहा हैं। शेष विक्रेताओं को कैशमेमो देने को निर्देश दिया गया। खगड़िया द्वारा बताया गया कि कुछ विक्रेताओं द्वारा कैशमेमो दिया जा रहा हैं। इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि कैशमेमों सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को देना अनिवार्य है। **बैठक में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा कैशमेमो दिया जा रहा हैं। इसका सत्यापन कर अनुमंडल पदाधिकारी को भेजते हुए, जिन विक्रेताओं द्वारा कैशमेमों नही दिया जा रहा हैं। उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिवेदन तुरंत भेजेगें।**

जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदा0 को यह भी निदेश दिया गया कि क्षेत्र भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लें कि खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरण माह अक्टूबर 2016 से कूपन के आधार पर ही सुयोग्य पात्र को ही प्राप्त हों। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। दोनों अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण का जाँच करना सुनिश्चित करेंगे ताकि स्पष्ट हो सके कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान का निरीक्षण करते है या फिर खानापूर्ति करते है। यह भी निदेश दिया गया कि निरीक्षण प्रतिवेदन विभागीय बेवपोर्टल **POIMS** पर अपलोड करेंगे।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन आपूर्त्ति निरीक्षक एवं अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी आपूर्त्ति का कार्य देख रहे है का निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त नही होता है तो स्पष्टीकरण पूछते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :– सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी /अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी)

8. छापामारी :–

जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी को निदेश दिया गया कि नियमित रूप से व्यवसायिक प्रतिष्ठानो/दाल–दलहन बिक्री करन वाले दुकानों पर छापामारी की जाय। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि छापामारी पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः छापामारी कर छापामारी का प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :– सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी)

9. निगरानी और अनुश्रवण समिति की बैठक :–

सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी को निदेश दिया गया कि वे नियमित रूप से प्रखंड स्तरीय अनुश्रवरण समिति एवं अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति तथा पंचायत स्तरीय निगरानी समिति की बैठक करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा बैठक की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी को अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :– सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी)

अन्यान्य :– जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि सभी 6(छः) गोदामों के लिए नये सहायक गोदाम प्रबंधक योगदान कर चुके हैं। गोगरी प्रखंड अंतर्गत सहायक गोदाम प्रबंधक का प्रभार हो

चुका हैं। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि अन्य प्रखंडों में नये पदस्थापित सहायक गोदाम प्रबंधक का प्रभार एक सप्ताह के अंदर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0 -

जिलाधिकारी
खगड़िया।

ज्ञापांक 748 /जि0आ0, दिनांक 20.10.2016

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र समाहरणालय, खगड़िया को जिला वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया तथा सभी संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी सहायक गोदाम प्रबंधक खगड़िया जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया /गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया/जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सरकार के प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
खगड़िया

17.10.2016